Seventeenth Loksabha

>

Title: Motion regarding election of two Members to the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) (Motion adopted).

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL) : Sir, I beg to move the following: -

> "That in pursuance of clause (d) of sub-section (4) of Section 4 of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) Act, 1985 read with rule 3 of APEDA Rules 1986, the members of this House do proceed to elect, in such manner, as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) subject to the other provisions of the said Act and rules made thereunder."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि इस सभा के सदस्य कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) नियम, 1986 के नियम 3 के साथ पठित एपीईडीए अधिनियम, 1985 की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (घ) के अनुसरण में, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें ।"

-

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर - 5, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी ।

*m11

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल रखता हूं **:-**

(1) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 105 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (वार्षिक प्रतिवेदन) नियम, 2021, जो 27 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 665(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (विशेषज्ञों और वृत्तिकों के नियोजन की रीति) विनियम, 2021, जो 27 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. जे-25/6/2020/सीसीपीए में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 5326/17/21]

(2) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2021, जो 27 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. बीएस/11/11/2021 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय मानक ब्यूरो (हॉलमार्किंग) संशोधन विनियम, 2021, जो 27 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. बीएस/11/05/2018 में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 5327/17/21]